ग्राम पंचायत पंडोगा, विकास खण्ड हरोली, जिला ऊना हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1-04-2015 से 31-03-2018

भाग – एक

1 **(क) प्रस्तावना :-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या : PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669, दिनांक 7.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत पंडोगा, विकास खण्ड हरोली, जिला ऊना के अवधि 1-04-2015 से 31-03-2018 तक के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया 1

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान सचिव रहे1

प्रधान:-

क्रम संख्या	प्रधान का नाम	अवधि
1	श्रीमती प्रवीण लत्ता	1-04-2015 से 22-01-2016
2	श्री मनीष कुमार	23-01-2016 से 31.3.18 तक

सचिव:-

क्रम संख्या	सचिव का नाम	अवधि
1	श्रीमती मधु किरण	1-04-2015 से 23-03-2016
2	श्रीमती सन्तोष कौर	24-03-2016 से 22-03-2018
3	श्री सुनील कुमार	23-03-2018 से 31.3.18 तक

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत पंडोगा के लेखाओं अवधि 1-04-2015 से 31-03-2018 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है1

क्रम संख्या	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	5	पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष	2.09
2	6	अनुदान का उपयोग न करना	33.03
3	7	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना निर्माण सामग्री व अन्य सामान का क्रय करना	1.93
4	8	उचित बिलों के बिना निर्माण सामग्री का क्रय करना	0.48

5	9	क्रय किए गए सामान की स्टॉक प्रविष्टियाँ न करना	7.76

भाग – दो

2 **वर्तमान अंकेक्षण:-**

ग्राम पंचायत पंडोगा, विकास खण्ड हरोली, जिला ऊना के अवधि 1-04-2015 से 31-03-2018 के लेखाओं का प्रथम अंकेक्षण श्री राज कुमार, अनुभाग अधिकारी व श्री सुशील कुमार आर्टिकल सहायक द्वारा दिनांक 28-08-2018 से 31-08-2018 तक ग्राम पंचायत पंडोगा में किया गया l लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्नलिखित मासों का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैरग्राफों में समाविष्ट किया गया हैl

आय:- 1/16, 5/16 व 10/17

व्यय:- 8/15, 3/17 व 2/18

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया हैl पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/ अभिलेख के अपूर्ण/ गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश उतरदायी नहीं होगाl

3 **अंकेक्षण शुल्क :-**

ग्राम पंचायत पंडोगा, विकास खण्ड हरोली, जिला ऊना के अवधि 1-04-2015 से 31-03-2018 तक के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹7200 आँका गया है । उक्त अंकेक्षण शुल्क को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या-231 दिनांक 29-08-2018 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत पंडोगा से अनुरोध किया गयाl जिसकी अनुपालना में सचिव ग्राम पंचायत पंडोगा द्वारा उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को पी० एन०बी० पंडोगा के बैंक ड्राफ्ट संख्या 757934 दिनांक 29-08-2018 के अंतर्गत निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-9 हिमाचल प्रदेश के नाम भेज दिया गया है l

4 **वितीय स्थिति:-**

(क) ग्राम पंचायत पंडोगा द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1-04-2015 से 31-03-2018 के लेखाओं की संकलित वितीय स्थिति निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट – क** पर भी दिया गया है I

वितीय वर्ष	आरम्भिक शेष	आय	ब्याज	कुल योग	व्यय	अन्तिम शेष
2015-16	2328058	3287783	89962	5705803	3446886	2258917
2016-17	2258917	6810738	163003	9232658	4085179	5147479
2017-18	5147479	4984261	230145	10361885	5717089	4644796

(i) स्वयं स्त्रोत:-

ग्राम पंचायत पंडोगा द्वारा **परिशिष्ट –क-1** पर अंकेक्षण को प्रदान की गई सूचना के अनुसार अवधि 1-04-2015 से 31-03-2018 तक स्वयं स्त्रोतों की वितीय स्थिति का विवरण निम्नानुसार है :-

वितीय वर्ष	आरम्भिक शेष	आय	ब्याज	कुल योग	व्यय	अन्तिम शेष
2015-16	1018239	94738	83041	1196018	479167	716851
2016-17	716851	27333	156993	901177	48941	852236
2017-18	852236	20107	215108	1087451	10718	1076733

(ii) अनुदान:-

ग्राम पंचायत पंडोगा के अवधि 1-04-2015 से 31-03-2018 के अनुदानों की वितीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विवरण **परिशिष्ट – क – 2** पर भी दिया गया है1

वितीय वर्ष	आरम्भिक शेष	आय	ब्याज	कुल योग	व्यय	अन्तिम शेष
2015-16	1150484	2522377		3672861	2334551	1338310
2016-17	1338310	4747340		6085650	2289556	3796094
2017-18	3796094	3657811		7453905	4151268	3302637

iii)आई० ए० वाई० :-

ग्राम पंचायत पंडोगा के अवधि 1-04-2015 से 31-03-2018 के आई० ए० वाई० की वितीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विवरण **परिशिष्ट – क – 3** पर भी दिया गया है

वितीय वर्ष	आरम्भिक शेष	आय	ब्याज	कुल योग	व्यय	अन्तिम शेष
2015-16	13556	150000	1015	164571	112500	52071
2016-17	52071	65000	1055	118126	37500	80626
2017-18	80626	142500	1482	224608	202500	22108

iv) मनरेगा:-

ग्राम पंचायत पंडोगा के अवधि 1-04-2015 से 31-03-2018 तक के मनरेगा की वितीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विवरण **परिशिष्ट – क – 4** पर भी दिया गया है

वितीय वर्ष	आरम्भिक शेष	आय	ब्याज	कुल योग	व्यय	अन्तिम शेष
2015-16	0	520668	0	520668	520668	0

2016-17	0	1489865	0	1489865	1489865	0
2017-18	0	1163843	0	1163843	1163843	0

v) आई० डब्लयू० एम० पी० – VII:-

ग्राम पंचायत पंडोगा के अवधि 1-04-2015 से 31-03-2018 तक के आई० डब्लयू० एम० पी० – VII की वितीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विवरण **परिशिष्ट – क- 5** पर भी दिया गया है

वितीय वर्ष	आरम्भिक शेष	आय	ब्याज	कुल योग	व्यय	अन्तिम शेष
2015-16	1979	0	80	2059	0	2059
2016-17	2059	0	84	2143	0	2143
2017-18	2143	0	9	2152	2143	9

vi) वाटर शैड अंशदान :-

ग्राम पंचायत पंडोगा के अवधि 1-04-2015 से 31-03-2018 तक के वाटर शैड अंशदान की वितीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विवरण **परिशिष्ट – क- 6** पर भी दिया गया है

वितीय वर्ष	आरम्भिक शेष	आय	ब्याज	कुल योग	व्यय	अन्तिम शेष
2015-16	143800	0	5826	149626	0	149626
2016-17	149626	0	4555	154181	0	154181
2017-18	154181	0	7418	161599	0	161599

vii) स्वच्छ भारत मिशन :-

ग्राम पंचायत पंडोगा के अवधि 1-04-2015 से 31-03-2018 तक के स्वच्छ भारत मिशन की वितीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विवरण **परिशिष्ट – क – 7** पर भी दिया गया है

वितीय वर्ष	आरम्भिक शेष	आय	ब्याज	कुल योग	व्यय	अन्तिम शेष
2015-16	0	0	0	0	0	0
2016-17	0	481200	316	481516	219317	262199
2017-18	262199	0	6128	268327	186617	81710

अन्त शेष का विवरण:-

वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31-03-2018 तक को रोकड़ बहियों व बैंक खाते के अनुसार अन्तिम शेष का विवरण निम्नानुसार है।

क्रम सं०	निधि का नाम	बैंक का नाम	खाता संख्या	रोकड़ बही के अनुसार अन्तिम शेष	बैंक में जमा शेष राशि	अन्तर

1	स्वंय स्त्रोत व अनुदान	के० सी० सी० बी० पंजावर	20067016414	3526043	3525463	580 (हस्तगत रोकड़)
2	अनुदान	के० सी० सी० बी० हरोली	20048032697	853327	853327	
3	आई .ए.बाई.	के० सी० सी० बी० हरोली	20048032427	22108	22108	
4	मनरेगा	पी.एन.बी. पंडोगा	1733000100053210	0	0	
5	आई० डब्लयू० एम० पी० – VII	के० सी० सी० बी० पंजावर	50058286036	9	9	
6	वाटर शैड (हरियाली) अंशदान	पी.एन.बी. पंडोगा	1733000100052050	161599	161599	
7	स्वच्छ भारत मिशन	पी.एन.बी. पंडोगा	1733000100091670	81710	81710	
			योग	**4644796**	**4644216**	**580**

(ख) बैंक समाधान विवरणी को प्रतिमाह तैयार न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित् बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) एवं 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करते हुए बैंक समाधान विवरणी का तैयार किया जाना अनिवार्य था I परन्तु पंचायत के लेखाओं की जांच में पाया गया कि इन नियमों की अनुपालना पूर्ण रूप में नहीं की जा रही है I लेखांकन के मूलभूत नियमों के अनुसार बैंक समाधान विवरणी का प्रतिमाह बनाया जाना आवश्यक हैI लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा बैंक समाधान विवरणी प्रति माह तैयार नहीं की गई है I अतः बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में प्रत्येक माह के अंत में बैंक समाधान विवरणी तैयार की जानी सुनिश्चित की जाए I

(ग) नियमविरुद्ध एकाधिक रोकड़ बहियों का निर्माण करने बारे:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित् बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1) के अन्तर्गत पंचायत के समस्त लेनदेन को एक ही रोकड़ बही में लेखांकित किए जाने का प्रावधान है I परन्तु जांच के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा वर्तमान में अलग –अलग सात रोकड़ बहियों का अनुरक्षण किया गया है I अतः नियमों के विरुद्ध एक के स्थान पर सात रोकड़ बहियों का रख रखाव करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में अतिरिक्त रोकड़ बहियों को बन्द करते हुए नियमानुसार एक ही रोकड़ बही का अनुरक्षण करना सुनिश्चित किया जाए I

(घ) वर्गीकृत सार तैयार न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित् बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 8 में वर्गीकृत सार तैयार

करते हुए आय तथा व्यय को दो भागों में बनाया जायगा, जिसमें प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी I इस सार को बनाए जाने का उदेश्य आय तथा व्यय को बजट के अनुसार नियंत्रित रखा जाना है I परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इसके न बनाये जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ सम्भव न हो सका I अतः वर्गीकृत सार तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए ब भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार का निर्माण करना सुनिश्चित किया जाएI

5 **पंचायत राजस्व ₹2.09 लाख वसूली हेतु शेष:-**

(i) सचिव ग्राम पंचायत पंडोगा द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.3.18 को निम्न विवरणानुसार ₹209175 पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष था, जिसका विवरण **परिशिष्ट – ख** पर भी दिया गया है:-

(1) गृहकर:-

वर्ष	अथ शेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2015-16	58250	30000	88250	2075	86175
2016-17	86175	60000	146175	0	146175
2017-18	146175	61000	207175	0	207175

(2) मोबाईल टावर:-

एयरटेल

वर्ष	अथ शेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2015-16	2000	2000	4000	4000	0
2016-17	0	2000	2000	2000	0
2017-18	0	2000	2000	0	2000

उपरोक्त कम वसूली का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 234 दिनांक 29-08-2018 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत पंडोगा के ध्यानार्थ लाया गयाI लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तिथि तक उक्त अधियाचना का कोई भी प्रतियुत्तर अंकेक्षण दल को नहीं दिया गया I अतः उपरोक्त उल्लेखित गृहकर व मोबाईल टावर फीस के रूप में ₹209175 की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए उक्त राशि की वसूली अविलम्ब की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए l

(ii) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 व 77 के अनुसार फार्म 10 पर पंचायत के गृह कर की मांग एवं एकत्रीकरण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित था l पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान पंचायत के गृह कर का मांग एवं एकत्रीकरण रजिस्टर तैयार नहीं किया गयाl अतः गृह कर का मांग एवं संग्रहण रजिस्टर तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में रजिस्टर नियमानुसार तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाएl

6 **अनुदान ₹33.03 लाख का उपयोग न करना:-**

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **परिशिष्ट-क-2** के अनुसार दिनांक 31-03-2018 तक अनुदान ₹3302637 उपयोग हेतु शेष थी l ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों को स्वीकृति पत्रों की शर्तों के अनुसार विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ाl अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित विभागों को किया जाए l

7 **औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹1.93 लाख की निर्माण सामग्री व अन्य सामान का क्रय करना:-**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67 (5) द्वारा स्टोक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं अर्थात निविदाएँ आमंत्रित करना आदि प्रावधित हैंl व्यय वाऊचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट - ग** में दिया गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹193249 की निर्माण सामग्री व अन्य सामान का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ही किया गया, जो कि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है I अतः निर्माण सामग्री का क्रय नियमानुसार न होने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी से कार्योतर स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए l

8 **उचित बिलों के बिना ₹0.48 लाख की निर्माण सामग्री का क्रय करना:-**

जाँच के दौरान पाया गया कि स्वंय स्त्रोत व अनुदान निधि से **परिशिष्ट- घ** पर दिए गए विवरणानुसार ₹48270 की निर्माण सामग्री का क्रय किया गया, लेकिन उक्त निर्माण सामग्री को क्रय करने हेतु उचित बिल प्राप्त न करके केवल कोरे कागज पर बिल बना कर भुगतान किया गया हैl अतः उक्त निर्माण सामग्री को क्रय करने हेतु उचित बिल प्राप्त न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व ₹48270 की क्रय की गई निर्माण सामग्री से सम्बन्धित आपूर्तिकर्तों से उचित बिल प्राप्त करके सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किए जाने सुनिश्चित किए जाएl

9 **₹7.76 लाख की क्रय सामग्री की स्टॉक प्रविष्टियाँ न करना:-**

जांच के दौरान पाया गया कि **परिशिष्ट-ड.** पर दिए गए विवरणानुसार ₹775743 का सामान क्रय किया गया था, लेकिन उक्त क्रय किए गए सामान की स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत/जारी करने से सम्बन्धित अभिलेख दर्ज नहीं हैI स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत/जारी करने से सम्बन्धित अभिलेख के अभाव में उक्त क्रय किए गए सामान के किसी भी दुरूपयोग की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता हैI अतः वांछित अभिलेख तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त सम्पूर्ण क्रय किए गए सामान की सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति

प्रविष्टियाँ व खपत से सम्बन्धित अभिलेख तैयार करने उपरान्त सत्यापनार्थ हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाएI

10 **(क) निर्माण कार्य "C/O ShamshanghatmohallaSainiyan/ Batiyan ward no 6 & 7" ₹3.50 लाख का कार्य निम्न गुणवत्ता का होना:-**

जाँच के दौरान पाया गया कि VJMS शीर्ष के अंतर्गत ग्राम पंचायत पंडोगा को C/O ShamshanghatmohallaSainiyan/ Batiyan ward no 6 & 7" हेतु ₹350000 का अनुदान प्राप्त हुआ है व उक्त कार्य का मूल्यांकन माप पुस्तिका संख्या – 9202 पेज संख्या 15 से 17 पर दर्ज है I माप पुस्तिका की जाँच करने पर पाया गया कि उक्त कार्य में providing and laying cement concrete in 1:5:10 की मात्रा 53.60 घन मीटर, IInd class brick masonary in 1:6 की मात्रा 33.49 घन मीटर व 15mm plaster in 1:6 की मात्रा 272.52 घन मीटर निष्पादित की गई दर्शाई गई है I निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप वास्तविक रूप से निष्पादित दर्शाई गई उक्त मदों की मात्रा हेतु 202 बैग सीमेंट प्रयोग में लाया जाना अपेक्षित था, ताकि उक्त कार्य उच्च गुणवता व पी० डब्लयू० डी० द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप हो सके, लेकिन उक्त कार्य हेतु केवल 170 बैग सीमेंट का ही प्रयोग किया गया, जिसके फलस्वरूप 32 बैग सीमेंट का कम प्रयोग उक्त कार्य में होने के कारण उक्त कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित किए गए मापदंडों व तय नियमों के अनुरूप नहीं है I अतः हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप कार्य न करवा कर निम्न गुणवता का कार्य करवाया गया है I उक्त निम्न गुणवता के कार्य करवाने का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 232 दिनांक 29-08-18 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत पंडोगा के ध्यानार्थ लाया गया, लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तक उक्त अधियाचना का कोई भी प्रतियुतर नहीं दिया गया I अतः उक्त निम्न गुणवता के निर्माण कार्य करवाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए I

(ख) जाँच के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा फॉर्म – 34 पर उक्त कार्य हेतु स्टील 103.500 किलोग्राम ₹3933 का व्यय दर्ज किया गया है I लेकिन माप पुस्तिका संख्या 9202 पेज संख्या 15 से 17 पर दर्ज मूल्यांकन / रिकॉर्ड प्रविष्टियों (assessment/record entry) के अनुसार किसी भी मद हेतु स्टील से सम्बन्धित कोई कार्य दर्ज नहीं है व न ही माप पुस्तिका में स्टील के प्रयोग से सम्बन्धित कोई प्रविष्टि दर्ज हैंI माप पुस्तिका में स्टील के प्रयोग से सम्बन्धित कोई प्रविष्टि दर्जन होने के वाबजूद स्टील 103.500 किलोग्राम को प्रयोग में दर्शाकर ₹3933 का दुरूपयोग किया गया है दुरूपयोग का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 232 दिनांक 29-08-18 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत पंडोगा के ध्यानार्थ लाया गया, लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तक उक्त अधियाचना का कोई भी प्रतियुतर नहीं दिया गया I अतः माप पुस्तिका में किसी भी मद में स्टील के प्रयोग से सम्बन्धित प्रविष्टियाँ दर्ज न होने के बाबजूद ₹3933 की स्टील प्रयोग में दर्शाकर किए गए व्यय को नियमानुसार उचित ठहराया जाए अन्यथा उक्त राशि की वसूली सम्बन्धित से की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाएI

(ग) जाँच के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा फॉर्म – 34 पर उक्त कार्य हेतु providing and laying cement concrete in 1:5:10 की मात्रा 53.60 घन मीटर हेतु 47.7 घन मीटर बजरी 40 एम एम का प्रयोग किया जाना अपेक्षित था I जबकि उक्त कार्य हेतु 25 ट्राली अर्थात 75 (25 x 3) घन मीटर बजरी 40 एम

एम का प्रयोग किया गया दर्शाया है I फलस्वरूप 27 घन मीटर अर्थात 9 ट्राली बजरी 40 एम एम का अधिक प्रयोग/खपत दर्शाया गया प्रतीत होता है I उक्त 27 घन मीटर अर्थात 9 ट्राली बजरी 40 एम एम के अधिक प्रयोग/खपत का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 232 दिनांक 29-08-18 को सचिव ग्राम पंचायत पंडोगा के ध्यानार्थ लाया गया, लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तक उक्त अधियाचना का कोई भी प्रतियुतर नहीं दिया गयाI अतः उक्त कार्य हेतु 47.7 घन मीटर बजरी 40 एम एम की जगह 75 (25 x 3) घन मीटर की खपत दर्शाने को नियमानुसार उचित ठहराया जाए अन्यथा अधिक खपत दर्शाई गई 27 घन मीटर अर्थात 9 ट्राली बजरी 40 एम एम ₹600 प्रति घन मीटर /1800 प्रति ट्राली की दर से ₹5400 की वसूली सम्बन्धित से की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाएI

11 निर्माण कार्य "C/O Path Ajeet Singh house to main road" में ₹40317 का अधिक व्यय:-

जाँच के दौरान पाया गया कि निर्माण कार्य "C/O Path Ajeet Singh house to main road" हेतु फॉर्म – 34 पर ₹350000 का व्यय दर्ज किया गया था जबकि उक्त कार्य हेतु कनिष्ठ अभियंता द्वारा माप पुस्तिका संख्या 9215 पेज संख्या 23 से 25 पर ₹309683 का मूल्यांकन दर्ज किया गया हैंI फलस्वरूप उक्त कार्य हेतु माप पुस्तिका में दर्ज ₹309683 के मूल्यांकन की जगह ग्राम पंचायत द्वारा ₹350000 का व्यय दर्शाकर ₹40317 का अधिक व्यय किया गया प्रतीत होता है I उक्त कार्य हेतु माप पुस्तिका में ₹309683 के मूल्यांकन की जगह ₹350000 का व्यय दर्शाकर ₹40317 के अधिक व्यय का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 235 दिनांक 29-08-18 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत पंडोगा के ध्यानार्थ लाया गया, लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तक उक्त अधियाचना का कोई भी प्रतियुतर नहीं दिया गया I अतः "C/O Path Ajeet Singh house to main road" कार्य हेतु माप पुस्तिका में ₹309683 के मूल्यांकन की जगह ₹350000 का व्यय दर्शाकर ₹40317 के अधिक व्यय को नियमानुसार उचित ठहराया जाए अन्यथा अधिक व्यय ₹40317 की वसूली सम्बन्धित से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए I

12 प्राप्त अनुदान के लिए रसीदें जारी न करना:-

हि० प्र० पंचायती राज (वित बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 5 (1 से 3) के प्रावधानों के अनुसार पंचायत को किसी भी स्त्रोत अथवा तरीके से प्राप्त आय/अनुदान के लिए इन नियमों में दिए गए प्रारूप – 3 में रसीद जारी करनी आवश्यक हैI परन्तु ग्राम पंचायत के लेखाओं की जाँच करने पर पाया गया कि निम्नविवरणानुसार रोकड़ बहियों में विभिन्न संस्थाओं / विभागों से प्राप्त ₹4393675.50 की राशि अनुदान के रूप में दर्शाई गई है, लेकिन उक्त प्राप्त अनुदान राशियों से सम्बन्धित रसीदें जारी नहीं की गई है I

क्रम संख्या	दिनांक	रोकड़ बही पेज संख्या	विभाग/संस्था का नाम	राशि
			(क) सभा निधि	
1	17-08-15	46	डी० पी० ओ० ऊना	5397.50
2	31-08-15	49	आई० पी० एच ० विभाग	5397

3	21-11-15	63	आई० पी० एच ० विभाग	4050
4	13-12-15	70	डी० पी० ओ० ऊना	5550
5	13-12-15	70	डी० पी० ओ० ऊना	5550
6	13-12-15	70	डी० पी० ओ० ऊना	24900
7	3-02-16	83	डी० पी० ओ० ऊना	10205
8	3-02-16	83	डी० पी० ओ० ऊना	22676
9	9-02-16	84	डी० पी० ओ० ऊना	706926
10	28-03-16	90	डी० पी० ओ० ऊना	12600
11	28-03-16	90	डी० पी० ओ० ऊना	5550
12	28-03-16	90	डी० पी० ओ० ऊना	840
13	28-03-16	90	आई० पी० एच० विभाग	5400
14	4-04-16	92	डी० पी० ओ० ऊना	711437
15	4-05-16	5	डी० पी० ओ० ऊना	11900
16	5-07-16	9	डी० पी० ओ० ऊना	27300
17	29-12-16	26	आई० पी० एच० विभाग	3000
18	6-02-17	34	डी० पी० ओ० ऊना	6150
19	15-02-17	35	डी० पी० ओ० ऊना	33150
20	8-03-17	38	आई० पी० एच० विभाग	4500
21	17-03-17	39	डी० पी० ओ० ऊना	33150
22	17-03-17	39	डी० पी० ओ० ऊना	6150
23	20-03-17	39	डी० पी० ओ० ऊना	600
24	31-03-17	43	आई० पी० एच० विभाग	1500
25	25-07-17	56	डी० पी० ओ० ऊना	87200
26	3-10-17	63	आई० पी० एच० विभाग	6000
27	17-10-17	64	डी० पी० ओ० ऊना	11295
28	26-10-17	66	डी० पी० ओ० ऊना	1259519
29	4-12-17	72	डी० पी० ओ० ऊना	33150
30	8-12-17	72	डी० पी० ओ० ऊना	3400
31	12-12-17	73	डी० पी० ओ० ऊना	7050
		(ख)	**योजना (Planning)**	
32	12-02-16	50	बी० डी० ओ० हरोली	20000
33	12-05-16	54	बी० डी० ओ० हरोली	120000
34	13-06-16	56	बी० डी० ओ० हरोली	145000
35	18-07-16	57	बी० डी० ओ० हरोली	59683
36	20-07-17	81	बी० डी० ओ० हरोली	50000
37	20-07-17	81	बी० डी० ओ० हरोली	30000
38	7-09-17	83	बी० डी० ओ० हरोली	250000
39	2-03-18	84	बी० डी० ओ० हरोली	300000
		(ग)	**इंदिरा आवास योजना**	
40	17-09-15	16	बी० डी० ओ० हरोली	37500
41	9-11-15	16	बी० डी० ओ० हरोली	30000
42	9-11-15	16	बी० डी० ओ० हरोली	30000
43	2-12-15	18	बी० डी० ओ० हरोली	15000
44	4-03-16	19	बी० डी० ओ० हरोली	37500
45	9-02-17	23	बी० डी० ओ० हरोली	65000
46	29-07-17	25	बी० डी० ओ० हरोली	65000

47	12-09-17	27	बी० डी० ओ० हरोली	65000
48	14-03-18	28	बी० डी० ओ० हरोली	12500
			योग	**₹4393675.50**

अतः उक्त अवधि के दौरान प्राप्त अनुदानों से सम्बन्धित रसीदें जारी न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएI

13 ₹3100 का अधिक एवं गलत भुगतान :-

जाँच के दौरान पाया गया कि मनरेगा रोकड़ बही से माह 2/18 के दौरान मै० शाम दत्त, राजिंदर कुमार गांव व डा० खडड को 5 बोरी सीमेंट ₹340 प्रति बैग की दर से ₹1700 का भुगतान किया गया है I लेकिन रोकड़ बही व फण्ड ट्रान्सफर आर्डर में उक्त दुकानदार को ₹4800 का भुगतान किया गया है I फलस्वरूप उक्त दुकानदार को ₹3100 (4800-1700) का अधिक भुगतान किया गया है I अतः मै० शाम दत्त, राजिंदर कुमार गांव व डा० खडड को ₹1700 की जगह ₹4800 का भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली सम्बन्धित से की जानी सुनिश्चित की जाए व कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए I

14 ₹800 का दुरूपयोग/गबन :-

जाँच के दौरान पाया गया कि निम्नविवरणानुसार रसीदों के अन्तर्गत वसूली गई ₹800 को रोकड़ बही व बचत खाते में जमा न करवाकर उसका दुरुपयोग/गबन किया गया प्रतीत होता है I

क्रम संख्या	दिनांक	रसीद संख्या	वसूली गई राशि	विवरण
1	27-06-17	470304	200	वेदी सुपुत्र श्री चमन लाल (शादी दान)
2	8-12-17	470323	200	सुनील कुमार सुपुत्र श्री महिमत (शादी दान)
3	3-03-18	470335	200	विपन कुमार सुपुत्र श्री धर्मपाल (शादी दान)
4	13-03-18	470336	200	विकास कुमार सुपुत्र श्री प्रेम चंद (शादी दान)
		योग	**₹800**	

अतः उपरोक्त उल्लेखित दुरूपयोग की गई उक्त राशि की वसूली सम्बन्धित से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएI

15 क्रय निर्माण सामग्री की मात्रा की मापन ईकाई को ट्राली के रूप में गलत दर्शाना:-

हिमाचल प्रदेश सरकार पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या: पी सी एच - एच (5) सी (15) 313/89 दिनांक 16-07-2016 के अनुसार "ग्राम पंचायत रेत, बजरी, पत्थर, सीमेंट व लकड़ी आदि के क्रय के सन्दर्भ में निर्धारित ईकाई को ध्यान में रखकर क्रय करें जैसे रेत, बजरी निर्धारित घन फुट (cubic foot) के अनुसार" परन्तु जांच के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत पंडोगा द्वारा अंकेक्षण हेतु चयनित मासों के दौरान निर्माण सामग्री के रूप में क्रय रेता, बजरा, बजरी पत्थर की स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति एवं जारी/खपत प्रविष्टियाँ ट्राली इत्यादि के रूप में दर्ज की गई व तदानुसार माप पुस्तिकाओं में कार्य का मूल्यांकन करते समय सम्पूर्ण सामग्री जैसे कि रेता, बजरा, बजरी पत्थर इत्यादि को ट्राली के रूप में दर्शाया गया हैI जो कि कार्य

नियमों की गम्भीर अवहेलना होने के साथ-साथ अव्यवहारिक एवं आपतिजनक है I अतः निर्माण कार्यों हेतु सामग्री के रूप में रेता, बजरा, बजरी, पत्थर की मात्रा को घनफुट या घनमीटर में क्रय न करके ट्राली के रूप में क्रय करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में निर्माण कार्यों हेतु सामग्री के रूप में रेता, बजरा, बजरी, पत्थर की मात्रा को घनफुट या घनमीटर में क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए I अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएI

16 स्त्रोत पर आयकर की कटौती न करना:-

आयकर की धारा 194 (सी) में विहित प्रावधानों के अनुसार किसी भी वितीय वर्ष में किसी भी व्यक्ति संविदाकार अथवा फर्म को किये गए ₹30000 से अधिक के किसी भी एकल भुगतान अथवा ₹75000 से अधिक सकल भुगतान पर 2% की दर से व एकल व्यक्ति की अवस्था में 1% की दर से स्त्रोत पर नियमानुसार आयकर की कटौती की जानी अपेक्षित है, लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान स्त्रोत पर नियमानुसार आयकर की कटौती नहीं की गई है। अतः अवधि 1-04-2015 से 31-03-2018 तक स्त्रोत पर आयकर की कटोती न करने के कारण स्पष्ट किए जायें व भविष्य में विहित प्रावधानों के अनुसार स्त्रोत पर कर की कटौती की जानी सुनिश्चित की जाए।

17 मांग व प्राप्ति रजिस्टर का रख-रखाव न किया जाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित् बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 व 74(4) के प्रावधानों के अनुसार पंचायत को फॉर्म 10 में पंचायत को वर्ष के दौरान संभावित समस्त आय के लिए मांग व प्राप्ति रजिस्टर का रख-रखाव करना होगाI परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस प्रावधान की अवहेलना करते हुए इस रजिस्टर का अनुरक्षण नहीं किया गया है I इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार मांग व प्राप्ति रजिस्टर का निर्माण करना सुनिश्चित किया जाए I

18 नियमानुसार सावधि जमा में निवेश न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित् बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों (Surplus Fund) को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेश किया जाना अपेक्षित है कि इन पर अधिकतम लाभ कमाया जा सके I परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की गई है तथा अंकेक्षणावधि के दौरान सावधि जमा में निवेश नहीं किया गया थाI जबकि वितीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष निधियों में काफी मात्रा में अतिरिक्त शेष उपलब्ध थाI नियमानुसार निवेश न करने के कारण पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से वांछित होना पड़ा है I इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार निवेश करना सुनिश्चित करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए I

उपरोक्त के अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित् बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 12(1) के अनुसार पंचायत द्वारा किए गए निवेश के सन्दर्भ में प्रारूप -1 के आधार पर निवेश रजिस्टर का निर्माण किया जाना

अपेक्षित हैI अतः भविष्य में नियम 11 की अनुपालना में किए जाने वाले निवेश के लिए नियमानुसार निवेश रजिस्टर का अनुरक्षण भी सुनिश्चित किया जाएI

19 स्टोर सामग्री का क्रय व उपायन करने के प्रयोजन हेतु उप समिति का गठन न करना:-

हिमाचल पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (3) के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत स्टोर (सामान) के क्रय व उपायन के प्रयोजन से निम्नलिखित विधि से एक उप समिति गठित करेगी l

(1) ग्राम पंचायत की दशा में प्रधान, उप प्रधान, ग्राम पंचायत द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले दो वार्ड सदस्य व ग्राम पंचायत का सचिव l

अंकेक्षण हेतु चयनित मासों के व्यय की जाँच करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत पंडोगा द्वारा स्टोर (सामान) का क्रय करने व उपायन हेतु उप समिति का गठन नहीं किया गया थाl जो कि पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (3) की अवहेलना है l अतः स्टोर (सामग्री) उपायन समिति के गठन के बिना क्रय करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में नियमानुसार स्टोर के क्रय हेतु उपसमिति का गठन किया जाए I

20 ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों हेतु सहभागी समिति का गठन न करना :-

हिमाचल पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के उप नियम 93 के अनुसार ग्राम पंचायत को प्रत्येक निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु सहभागी समिति का गठन करना अनिवार्य है, ताकि निर्माण कार्यों में पारदर्शिता स्थापित की जा सकेl सहभागी समिति निम्नलिखि सदस्य शामिल कर गठित की जानी अपेक्षित थीl

(i) सम्बन्ध ग्राम पंचायत का प्रधान/उप प्रधान

(ii) सम्बन्ध वार्ड का ग्राम पंचायत सदस्य

(iii) महिला मंडल से एक सदस्य

(iv) सम्बन्ध क्षेत्र के शैक्षणिक संस्थान से एक सदस्य

अंकेक्षण अवधि के अंतर्गत ग्राम पंचायत पंडोगा द्वारा निर्माण कार्यों हेतु सहभागी समिति का गठन नहीं किया था व सभी कार्य सहभागी समिति के बिना स्वंय करवाए गए हैं, जो कि पंचायती राज अधिनियम 2002 के अध्याय - II के उप नियम -93 व पारदर्शी नियमों की अवहेलना है l अतः निर्माण कार्यों हेतु सहभागी समिति का गठन न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में प्रत्येक निर्माण कार्य सहभागी समिति अथवा उप नियम - 93 (b) के अनुसार पंजीकृत संस्था जैसे कि महिला मण्डल, युवक मण्डल व वाटर शैड कमेटी इत्यादि के माध्यम से करवाए जाने सुनिश्चित किए जाएंl कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाएl

21 विहित रजिस्टरों का रख-रखाव न करना:-

हिमाचल पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 व 31 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव किया जाना अनिवार्य थाl अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया गया था, जो कि अनियमित व आपतिजनक हैl अतः नियमानुसार इन रजिस्टरों/ अभिलेखों का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाएl

क्रम संख्या	रजिस्टर/अभिलेख	फार्म संख्या	संदर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
3	निर्माण कार्यों का रजिस्टर		103
4	मासिक समाधान विवरणी		15 (1)
5	विभिन्न अनुदानों के बही खाते	7	29(1)
6	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
7	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
8	डाक रजिस्टर	24	61(2)
9	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72(1)

22 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा रखे जाने वाले रिकॉर्ड का रख-रखाव न करना:-

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा निम्नलिखित अभिलेख रखा जाना अनिवार्य है1

(i) रोजगार रजिस्टर (B-9)

(ii) शिकायत रजिस्टर (B-11)

(iii) आवेदन पंजीकरण रजिस्टर (B-7)

ग्राम पंचायत पंडोगा द्वारा उपरोक्त अभिलेख अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया l अतः वांछित अभिलेख तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में अपेक्षित अभिलेख तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए1

23 बजट प्राक्कलन तैयार न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म -11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा में पारित करना अपेक्षित था l परन्तु जाँच के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था I इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार / अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित है I इस प्रकार सचिव द्वारा निर्धारित फार्म -11 पर बजट प्राक्कलन तैयार /अनुमोदित न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए1

24 रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर नियमानुसार रख रखाव न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 13(5) के अनुसार पंचायत सचिव का यह वैधानिक दायित्व है कि जिला पंचायत अधिकारी द्वारा प्राधिकृत /जारी खाली रसीदों का प्राप्त करते समय तथा उपयोग हेतु जारी करने का अभिलेख प्रारूप "4" के अनुसार बनाये गए स्टॉक रजिस्टर में रखे I परन्तु ग्राम पंचायत पंडोगा द्वारा रसीदों का स्टॉक रजिस्टर अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया है I अतः वांछित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाएI

25 **भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना:-**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है1 परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए1

26 **लघु आपति विवरणिका:-** यह अलग से जारी नहीं की गई है1

27 **निष्कर्ष:-**लेखों के रख-रखाव में सुधार के अतिरिक्त पंचायती राज अधिनियम में विहित नियमों की कड़ाई से अनुपालना की जानी नितांत जरूरी है 1

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(v) 43/2018 खण्ड–1–7995–7998 दिनांक 29.11.18
शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत
1 सचिव, ग्राम पंचायत पंडोगा, विकास खण्ड हरोली, जिला ऊना हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2 निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि0प्र0 कसुम्पटी, शिमला 171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी, ऊना जिला ऊना हि0प्र0।
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड हरोली, तहसील हरोली, जिला ऊना हि0प्र0।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881